

BA(Hons.& Sub.) PART –I , Paper- I

डॉ० गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत

1. **राज्य केवल एक समुदाय है** – मैकाइवर के अनुसार, "राज्य अन्य समुदायों की भाँति एक समुदाय है।" मानवीय जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य नहीं कर सकता है। राज्य का कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक पहलू से संबंधित है जबकि इसके कार्य को सीमित रहना चाहिए। इसके अनुसार राज्य को अन्य समुदायों की स्वाधीनता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुलवाद के अनुसार अन्य समुदाय राज्य के समकक्ष हैं और राज्य के समान ही ये समुदाय को अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली होना चाहिए।
2. **बहुलवादी, राज्य और समाज में अन्तर करते हैं** – बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते हैं, वे उन्हें विभिन्न इकाईयों के रूप में मानते हैं। बहुलवादी राज्य की तुलना में समाज को अधिक व्यापक संगठन मानता है। बहुलवादियों के अनुसार, राज्य का निर्माण तो समाज के अन्तर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है।
3. **बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं** – बहुलवादी विचारक आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सम्प्रभुता को सीमित मानते हैं। बहुलवाद आन्तरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निरंकुश शक्ति का विरोधी है।
4. **कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है** – बहुलवादी विचारक, कानून को राज्य से स्वतंत्र एवं उच्च मानते हैं। इनके अनुसार विधि के बिना, सामाजिक एकता, संगठन या मनुष्यों का एक-दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं है। विधि, राज्य को सीमित करती है लेकिन

राज्य विधि को नहीं सीमित कर सकता। क्रैब के शब्दों में, "राज्य विधि का नहीं वरन् विधि राज्य का निर्माण करती है।"

5. **सत्ता का विकेन्द्रीकरण** – सत्ता का विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र की पहली अनिवार्य शर्त है। बहुलवादियों के अनुसार, सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर अन्य समुदायों/संगठनों में विभाजित कर, संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाय। लास्की के अनुसार राज्य की प्रभुसत्ता असीम नहीं है। लास्की के कथनानुसार, "समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी बँटी हुई होनी चाहिए।" अर्थात् संघीय शासन की स्थापना की जाय। इसमें पंचायतों, नगरपालिका क्षेत्रों, जिला बोर्ड आदि संस्थाओं द्वारा नागरिकों को अपना शासन करने का अधिकार दिया जाता है। स्थानीय संगठन ही मानव के मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। उन्होंने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया है।
6. **बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है** – बहुलवाद, राज्य का अन्त करने के स्थान पर, उसकी शक्तियों को सीमित करना चाहता है। बहुलवादी एक ओर अराजकता तथा दूसरी ओर अद्वैतवाद(एकलवाद) – इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है।
7. **बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है** – बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। अर्थात् बहुलवाद जनता की विचारधारा में विश्वास करता है। बहुलवाद कभी भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता है। बहुलवाद जनतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत संगठन नीचे से ऊपर की ओर शासन व्यवस्था की ओर इंगित करता है।
8. **बहुलवाद व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है** – बहुलवादियों के अनुसार चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए।
9. **उद्योगों में स्वशासन की स्थापना** – लास्की ने उद्योगों में स्वशासन पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार उद्योगों में प्रबन्धन के लिए औद्योगिक परिषद बनना चाहिए जिसमें विभिन्न वर्गों यथा – उद्योगपतियों, मजदूरों, उपभोक्ताओं और सरकारी प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे औद्योगिक लोकतंत्र का नाम दिया है।